



उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।  
(राजस्व शाखा)  
**—:आदेशः—**

अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तिनुधाट) के पत्रांक 736/रा०, दिनांक 25.06.2024 से अभिलेख सं० 04/23—24, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 23 भारतमाला परियोजना फेज—2 के अंतर्गत वाराणसी—कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु बोकारो जिला के जरीडीह अंचल अंतर्गत मौजा—सुन्दरो, थाना नं०— 157, खाता नं०— 1, प्लॉट नं०— 610, रकवा— 0.0040000 हेठो, गैरमजरुआ परती पत्थर भूमि President of India, through Ministry of Road Transport & Highway (MoRTH), Government of India को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु अंचल अधिकारी, जरीडीह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तिनुधाट) एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तिनुधाट) के द्वारा अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, सरकार के संकल्प सं०—6441/रा०, दिनांक 20.12.2016 के आलोक में उक्त प्रस्ताव पर निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती हैः—

- 1 भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस हो जाएगी।
2. अन्य सभी शर्तें “इस्टेट मैनुअल” में निहित प्रावधानों एवं समय—समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

उपायुक्त,  
बोकारो।

ज्ञापांक 1404/रा०, दिनांक 10/07/2024

- प्रतिलिपि:— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि:— सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि:— आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
 प्रतिलिपि:— अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तिनुधाट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 अभिलेख सं० 04/23—24 को मूल में वापस किया जा रहा है।  
 प्रतिलिपि:— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,  
बोकारो।